संख्या-13/2021/4826/41-2020-102(बजट)/2020

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 06 जनवरी 2021

विषय- **जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 4867/6-1-1(09)/मु0मं0घो0 /2018-19 दिनांक 29 दिसम्बर 2020 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से जनपद हरिद्वार के होटल अलकनंदा परिसर में 100 कक्षों के नवीन भागीरथी पर्यटक आवास गृह में फर्नीचर इत्यादि मदों के संबंध में संशोधित अनुपूरक आगणन रू0-1165.62 लाख प्रेषित करते हुये स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के निर्माणाधीन नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर -किचन माड्युलर फर्नीचर (किचेन सेट) ,रेस्टोरेण्ट फर्नीचर ,बैंक्वेट हॉल-फर्नीचर, सभी कक्षों एवं सूट के फर्नीचर / फर्निशिंग इत्यदि को क्रय किये जाने हेतु** कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित संदर्भगत आगणन में अंकित लागत रू0-7.61 करोड+ **18 प्रतिशत जी0एस0टी0-रू0 1.36 करोड अर्थात् कुल रूपये 8.96 करोड (रूपये आठ करोड छियानवे लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तर-2 (1) से 2(14) पर अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में जेम पोर्टल/ ई-टेन्डरिंग के माध्यम से क्रय की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायेगी, जिसका पर्यवेक्षण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना के कार्यों एवं आपूर्तित सामग्री/फर्नीचर आदि की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-दस/10-2021 दिनांक 06 जनवरी 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-13/2021/4826/41-2020-102(बजट)/2020 तद्दिनॉक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-2-देहरादून।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /2021/ /41-2021-102(बजट)/2020

प्रेषक,

एन0जी0 रवि कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक , जनवरी 2021**

विषय- जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-13/2021/4826/41-2020-102(बजट)/2020 दिनांक 6-1-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के निर्माणाधीन नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर -किचन माड्युलर फर्नीचर (किचेन सेट) ,रेस्टोरेण्ट फर्नीचर ,बैंक्वेट हॉल-फर्नीचर, सभी कक्षों एवं सूट के फर्नीचर / फर्निशिंग इत्यदि को क्रय किये जाने हेतु** कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित संदर्भगत आगणन में अंकित लागत रू0-7.61 करोड+ **18 प्रतिशत जी0एस0टी0-रू0 1.36 करोड अर्थात् कुल रूपये 8.96 करोड (रूपये आठ करोड छियानवे लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दि0-6-1-2021 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में अंकित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा निम्नवत् गठित क्रय समिति के माध्यम से सामग्री क्रय की जायेगी:-

प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
प्रबंध निदेशक उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ	सदस्य सचिव
महाप्रबंधक (नोडल-पर्यटन) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ	सदस्य
मैनेजर वर्क्स उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ	सदस्य

भवदीय,

(एन0जी0 रवि कुमार)
सचिव।

संख्या- /2021/ /41-2021-102(बजट)/2020 तद्दिनॉक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-2-देहरादून।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- /2021/ /41-2021-102(बजट)/2020

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक , जनवरी 2021**

विषय- जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया जाना।

महोदय,

जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु शासनादेश सं0-13/2021/4826/41-2020-102(बजट)/2020 दिनांक 6-1-2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के निर्माणाधीन नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में फर्नीचर -किचन माड्युलर फर्नीचर (किचेन सेट) ,रेस्टोरेण्ट फर्नीचर ,बैंक्वेट हॉल-फर्नीचर, सभी कक्षों एवं सूट के फर्नीचर / फर्निशिंग इत्यदि को क्रय किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित संदर्भगत आगणन में अंकित लागत रू0-7.61 करोड+ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0-रू0 1.36 करोड अर्थात् कुल रूपये 8.96 करोड (रूपये आठ करोड छियानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है एवं उक्त शासनादेश दि0-6-1-2021 में अंकित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन सामग्री क्रय करने हेतु शासनादेश सं0-30/2021/142/41-2021-102(बजट)/2020 दिनांक-13-1-2021 द्वारा प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन के अध्यक्षता में 04 सदस्यीय क्रय समिति गठित की गई है।

2- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार निर्गत किये गये शासनादेशों के क्रम में संदर्भगत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2021/ /41-2021-102(बजट)/2020 तद्दिनॉक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-2-देहरादून।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।